एन.पी.बी. आर्म बुकिंग करने हेतु आवेदन फार्म

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए			
डायरी संख्या		पंजीकरण संख्या	
डायरी दिनॉक		पंजीकरण दिनॉक	

सेवा में,

महा प्रबन्धक,
आयुध निर्माणी, मुरादनगर – 201 206
जिला–गाजियाबाद, (उ0प्र0) फोन नं0 – 01232–232369

विषय :– .32 रिवाल्वर/.32 पिस्टल की बुकिंग करने हेतु आवेदन ।
(समस्त प्रविष्टियां बडे अक्षरों में स्वच्छ रूप से हाथ से लिखा हुआ/टाइप किया हुआ होनी चाहिए)

1. पूरा नाम	
2. पिता/पति का नाम	
3. टेलिफोन नं (एस.टी.डी. कोड के साथ) मोबाईल नं0	
4. पत्राचार हेतु पता	पिन –
5. अपना पैन कार्ड संख्या	
6. अपना व्यवसाय	
7. अपना बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम	
8. (क) आर्म्स लाइसेंस नं0	
(ख) क्या लाइसैंस आवेदन किये गए शस्त्र हेतु वैद्य है	हॉ/नहीं
(ग) वैद्य क्षेत्र	
(घ) वैद्य तिथि एवं पी0 पी0 दिनॉक	
(ड) लाइसैंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी : पता पिन कोड नम्बर सहित	
9. आर्म लाइसैंस में पता	
10. (क) बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनॉक	
(ख) बैंक का नाम व ब्रांच	
11. .32 पिस्टल तथा .32 रिवाल्वर हेतु दिये गए विकल्प में से आप अपनी पसंद पर सही का निशान लगाएं	.32 पिस्टल (एक्सट्रा मैगजीन के साथ) कुल कीमत रू0 93539/– .32 रिवाल्वर कुल कीमत रू0 87013/–
12. आवेदक के हस्ताक्षर	

संलग्नक :– 1. बैंक ड्राफ्ट रू0
2. आर्म लाइसैंस की दो सत्यापित प्रति
3. पैन कार्ड की एक सत्यापित प्रति

नोट

1. आवेदन के साथ कृपया बुकिंग राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट तथा अपने आर्म्स लाइसैंस की वैद्य फोटोकॉपी संलग्न करें ।
2. बैंक ड्राफ्ट (**G M/OFM**)महा प्रबन्धक आयुध निर्माणी मुरादनगर के पक्ष में, एस.बी.आई. मुरादनगर कोड 02425 में भुगतान किया जाना चाहिए । केवल एस.बी.आई. के ड्राफ्ट ही स्वीकृत किए जाएंगे ।
3. पिस्टल की बुकिंग हेतु न्यूनतम रू0 25000/– तथा .32 रिवाल्वर के लिए रू0 87013/– की राशि की आवश्यकता होगी ।
4. भरे हुए आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे । यदि कोई व्यक्ति निर्माणी में सीधे आवेदन जमा कराना चाहते हैं, तो आवेदन को कार्य दिवस के दौरान 3–00 बजे से 4–00 बजे (अपराहन) के बीच शनिवार एवं रविवार को छोडकर जमा किया जा सकता है ।
5. अपूर्ण फार्म/साफ नहीं लिखे हुए फार्म/बिना अनुलग्नक के फार्म को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को वापस कर दिया जाएगा । ऐसे मामलों में निर्माणी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. कृपया पृष्ठ संख्या 2 पर बिकी की निबंधन एवं शर्ते देखें तथा स्वीकार्य पत्र पर हस्ताक्षर करें ।

बिक्री की निबंधन एवं शर्ते

1. आवेदन केवल निर्दिष्ट फार्म में ही स्वीकृत किया जायेगा, जिसे निर्माणी से प्राप्त किया जा सकता है या इंटरनेट बेबसाइट **'www.ofb.gov.in' ; 'www.ofbindia.gov.in'** से डाउनलोड किया जा सकता है ।
2. केवल भारतीय नागरिक, जिनके पास उचित सिविल अधिकारी द्वारा जारी NP बोर शस्त्र हेतु वैद्य आर्म्स लाइसैंस है, भारतीय आयुध निर्माणियों द्वारा निर्मित शस्त्र खरीदने के पात्र होंगे ।
3. आवेदक एक समय में केवल एक शस्त्र की बुकिंग कर सकता है । निर्माणी में प्राप्त आवेदनों के क्रम के अनुसार प्रतिदिन के आधार पर आर्डर बुक किये जाएंगे ।
4. आवेदन के साथ प्राप्त एडवांस भुगतान के आर्डर के पूर्ण होने पर अंतिम बिल के साथ समायोजन कर दिया जाएगा । उपभोक्ता के अनुरोध पर **आर्डर के रद्द होने पर रद्दीकरण चार्ज के रूप में रू0 1000/— की कटौती की जाएगी ।**
5. अपूर्ण फार्म रद्द किये जाएंगे । बिना किसी कारण दर्शाए, जो भी हो, तथा बिना कोई नोटिस दिए निर्माणी किसी आर्डर को बुक करने से मना करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।
6. आवेदक का यह पंजिकरण अस्थाई होगा तथा लाईसैंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्त्यापन के उपरान्त ही पंजीकरण पर शस्त्र देने पर विचार किया जाएगा ।
7. यदि आवेदक का लाईसैंस सत्यापन करने पर अवैध पाया गया तो बुकिंग राशि जब्त कर ली जाएगी ।
8. आवेदन की प्राप्ति के बाद निर्माणी समस्त आवेदकों को 'एकनोलीज—कम—मनी—एडवांस' पत्र जारी करेंगी । निर्माणी उसमें बुकिंग संख्या दिनॉक तथा शस्त्र प्राप्त करने में लगने वाले समय का उल्लेख करेगी । निर्माणी आवश्यक शेष राशि तथा दिनॉक, जिसमें उन आवेदकों द्वारा डी. डी. दिया जाना है, जिन्होंने आवेदन के साथ पूरी राशि नहीं भुगतान की है का भी उल्लेख करेगी, जो उत्पादन कार्यक्रम तथा अनुमानित प्रतीक्षा समय पर निर्भर करेगी ।
9. आर्म्स की डिलिवरी, आर्डर के पंजिकरण के क्रमानुसार व्यक्तियों को एकत्र करने हेतु काल लैटर जारी किये जाएगे,, यह देखने के पश्चात कि निर्माणी में पूरा भुगतान कर दिया गया है, डिलिवरी कर दी जायेगी ।
10. **बुलावा पत्र में दर्शाए गए समय में यदि आवेदक शस्त्र प्राप्त करने एवं पूरी राशि जमा करने में असमर्थ रहता है या शस्त्र के प्रमाण हेतु कार्य पूरा करने में असफल रहता है, तो आर्डर रद्द कर दिया जाएगा तथा रू 2000/— रद्दीकरण चार्ज की कटौती करके जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी । निर्माणी बिना कोई कारण दर्शाए, जो भी हो, उपरोक्त समय सीमा को बढाने या बढाने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।**
11. **वास्तविक आपूर्ति के दिन मूल्य/ड्यूटी कर जो भी लागू हो देय होगा ।** परिशोधन के पूर्व यदि पूरी राशि जमा कर भी दी गई हो तो भी बकाया राशि जमा करना होगा । यदि आपूर्ति के बाद कर/ड्यूटी में वृद्धि होती है तो निर्माणी द्वारा मांग किए जाने के एक माह के अंदर उस राशि को जमा करना पडेगा ।
12. क्रमवार बुकिंग के अनुसार आपूर्ति हेतु संभव प्रयास किए जाएंगे लेकिन इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाएगी । आपूर्ति के क्रम में किसी भी रूप में परिवर्तन के लिए देयता स्वीकार्य नहीं होगी ।
13. आर्डर के निष्पादन में विलंब हेतु हुए हानि या नुकसान के लिए कोई दावा माना नहीं जाएगा ।
14. डाक द्वारा विलम्ब के लिए कोई भी उत्तरदायित्व/देयता स्वीकार्य नहीं होगी ।
15. बिना कोई नोटिस दिए एवं कारण दर्शाए किसी भी आर्डर को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है । इस हालत में ऐसे आर्डर के लिए प्राप्त भुगतान को वापस कर दिया जाएगा ।
16. फैक्टरी में बुक किए गए आर्डर के लिए ब्याज/क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की देयता स्वीकार्य नहीं होगी ।
17. उपर्युक्त में जो भी वर्णित है, निर्माणी अपना अधिकार सुरक्षित रखती है कि हथियार किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बिन बारी अध्यक्ष, आ. नि. बोर्ड या रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिक्री कर सकती है ।
18. वारंटी :— हथियार की मरम्मत हेतु विक्रय किए गए हथियार को क्रय तिथि के एक साल के अंदर फिल्ड गन फैक्टरी, कानपुर, गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोशीपुर,, कोलकाता या केबल फैक्टरी चण्डीगढ में लाना होगा एवं यदि फैक्टरी यह सुनिश्चित कर लेगी कि अनुचित प्रयोग एवं गलत तरीके से हथियार का प्रयोग नहीं हुआ है तो उस स्थिति में वारंटी के बाद भी मरम्मत कर सकती है । इस हालत में क्रेता को मरम्मत की कीमत चुकानी पडेगी । इसके परिणाम स्वरूप हुए हानि या नुकसान के लिए किसी भी तरह की देयता स्वीकार्य नहीं होगी । एक बार विक्रय हो जाने के बाद हथियार को वापस या विनिमय नहीं किया जा सकता ।
19. विवाचन खण्ड :— बिक्री के निबंधन एवं शर्तों में दर्शाए गए प्रावधानों को छोडकर इस संविदा से संबंधित उठे किसी भी प्रश्न या विवाद के लिए अध्यक्ष, आ. नि. बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी सरकारी कर्मचारी को एकल विवाचक को मध्यस्तता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है । इस संविदा से संबंधित पक्षों को विवाचक द्वारा दिया गया एवार्ड अंतिम एवं बाध्यक होगा । विवाचन कार्यवाही हेतु विवाचन एवं समझौता अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम को लागू माना जाएगा ।
20. **क्रय/आपूर्ति के पांच वर्ष की अवधि के अंदर हथियार बेचे/स्थानान्त्रित नहीं किए जाएंगे ।**
21. सभी विवाद फैक्टरी के समीप स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा ।
22. विक्रय की उपर्युक्त प्रक्रिया परिवर्तन एवं आशोधन के अधीन होगी जिसे आ. नि. बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बिना सूचित किए किया जा सकता है ।

स्वीकार्य पत्र

मैने क्रय/विक्रय सम्बंधी निबंधन एवं शर्तों को पढ लिया है एवं वे मुझे मान्य हैं। एतदद्वारा उसमें दर्शाए गए शर्तों के पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं इस बात का भार लेता हूँ कि क्रय के पांच वर्ष के अंदर सम्बंधित हथियार का विक्रय नहीं करूंगा ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)